कार्यालय, निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आज्ञा सं0 शि0नि0(उ0शि0)/ 11 /2020–21 दिनांक 11-12-2020

कार्यालय आदेश

प्रायः यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी दिसम्बर माह में अपने शेष बचे अवकाश के उपभोग कर रहे हैं। प्रदेश में कोविड–19 के संक्रमण के कारण शैक्षिक सत्र 2020–21 के प्रारम्भ में पठन–पाठन बाधित रहा, जिसके कारण छात्र हित में यह उचित होगा कि शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी यथासम्भव अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त शेष बचे हुए अवकाश उपभोग हेतु न लें। समस्त प्राचार्यों को यह निर्देशित किया जाता है कि अवकाश की अपरिहार्यता के दृष्टिगत रखते हुए ही अवकाश स्वीकृत किये जाए।

डॉ0(अमित भारद्वाज)
शिक्षा निदेशक(उ0शि0)उ0प्र0,
प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या शि0नि0(उ0शि0)/ 321-25 /2020–21 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3– प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त राजकीय स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4– प्राचार्य / प्रबन्धक, समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5– गार्ड फाइल।

डॉ0(अमित भारद्वाज)
शिक्षा निदेशक(उ0शि0)उ0प्र0,
प्रयागराज।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2020 / 3586-87 दिनांक : 14 / 12 / 2020

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

कृपया निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के संलग्न कार्यालय आदेश संख्या शि०नि० (उ०शि०) / 11 / 2020–21 दिनांक 11.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी दिसम्बर माह में अपने शेष बचे अवकाश के उपभोग कर रहे हैं। प्रदेश में कोविड–19 के संक्रमण के कारण शैक्षिक सत्र 2020–21 के प्रारम्भ में पठन–पाठन बाधित रहा, जिसके कारण छात्र हित में यह उचित होगा कि शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी यथासम्भव अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त शेष बचे हुए अवकाश हेतु न लें। समस्त प्राचार्यों को यह निर्देशित किया जाता है कि अवकाश की अपरिहार्यता के दृष्टिगत रखते हुए ही अवकाश स्वीकृत किये जाएँ।

अतः आप से अनुरोध है शिक्षा निदेशक प्रयागराज के कार्यालय आदेश के क्रम में आपके महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिसम्बर माह में उनके शेष बचे अवकाश की अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए ही अवकाश स्वीकृत किये जाएँ।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

Pandey

कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव